राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 137/2021

1. भगवती कंवर पत्नी मोहर सिंह
2. सोनिता कंवर पत्नी पूर्ण सिंह
   जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. भोपाल सिंह पुत्र पन्ने सिंह
4. राज कंवर पत्नी प्रभु सिंह
5. हमीर सिंह पुत्र प्रभु सिंह
   जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......वादीगण

ब–ना–म

1. दुर्जनलाल सिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाऊ जरिये शाखा प्रबंधक।
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती नक्शा

:: निर्णय :: **दिनांक 30–09–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम श्यामपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 116 के ख.नं. 810/12 रकबा 3.36 है. की एकांकी खातेदार काश्तकार वादिया सं. 1 दर्ज रिकार्ड है एवं इसी गांव स्थित भूमि खाता सं. 157 के ख.नं. 13 रकबा 2.02 है. की एकांकी खातेदार काश्तकार वादिया सं. 2 दर्ज रिकार्ड है एवं इसी गांव स्थित भूमि खाता सं. 129 के ख.नं. 798/13 रकबा 0.88 है. का एकांकी खातेदार काश्तकार वादी सं. 3 दर्ज रिकार्ड है एवं इसी गांव स्थित भूमि खाता सं. 226 के ख.नं. 795/13 रकबा 2.03 है. के खातेदार काश्तकार वादी सं. 4 व 5 दर्ज रिकार्ड है एवं इसी गांव स्थित भूमि खाता सं. 66 के ख.नं. 811/12 रकबा 1.68 है. का एकांकी खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी व कब्जा मौका बाबत कोई विवाद पक्षकारान में नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि ख.नं. 810/12 रकबा 3.36 है., ख.नं. 811/12 रकबा 1.68 है. का खाता विभाजन होने से पूर्व एक ही ख.नं. 12 रकबा 5.04 है. एवं ख.नं. 13 रकबा 2.02 है., ख.नं. 798/13 रकबा 0.88 है., ख.नं. 415/13 रकबा 2.03 है. का खाता विभाजन से पूर्व एक ही खसरा नंबर 13 रकबा 4.93 है. था। ख.नं. 12 सजरा नक्शा में ख.नं. 13 के पूर्व दिशा में लगता [illegible] नंगली सलेदीसिंह की सीमा पर लगता हुआ ख.नं. 12 के पश्चिम दिशा में है [illegible]ति पटवारी हल्का द्वारा जारी सजरा नक्शे की नकल नक्शा ट्रेस दि[illegible] से प्रमाणित है और वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 इसी अंकन [illegible] चले आ रहे हैं और इसी अंकन के आधार पर वादिया सं. 1 व 2 ने भूमि [illegible] और वादिया सं. 1 [illegible]दी सं. 2 से ऋण लिया और मौके पर काबिज हुए और इस[illegible] अनुसार वादीगण व प्र[illegible] सं. 1 ने सहमति से खाता विभाजन करवाया। खाता विभाजन होने के उपरान्त वादीगण ने पटवारी हल्का से सजरा नक्शे की नकल ली तो वादीगण को जानकारी हुई कि पटवारी हल्का ने सजरे नक्शे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मे ख.नं. 12 के खाता विभाजन के बाद बने ख.नं. 811/12, 810/12 का अंकन ख.नं. 13 के सजरे नक्शे में कर दिया एवं ख.नं. 13 का खाता विभाजन के बाद बने ख.नं. 795/13, 798/12, 13 का अंकन ख.नं. 12 में कर दिया जो गलत कर दिया जिसका पटवारी हल्का को कोई कानूनन अधिकार नहीं था जिसे दुरूस्त करवाने का वादीगण को अधिकार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि ख.नं. 795/13, 798/13, 13 का अंकन इसी सजरे नक्शे के अनुसार ख.नं. 811/12, 810/12 का हजफ कर सजरे नक्शे में किया जावे एवं ख.नं. 811/12, 810/12 का अंकन इसी सजरे नक्शे के अनुसार सजरे नक्शे में दर्ज ख.नं. 795/13, 798/13 व 13 को हजफ कर सजरे नक्शे में किया जावे इसी अनुसार घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे इस हेतु डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया है, जवाब दावा में वाद वादीगण अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा प्रतिदावा में कथन किया है कि ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 795/13, 798/13 व 811/12 क्रमशः पुराने खसरा नंबर 13 व 12 से बने हैं तथा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की आपसी सहमति से खाता विभाजन किया गया है तथा मौके पर काबिज काश्तकारों के अनुसार ही कुर्रेजात रिपोर्ट आयी है तथा उसी मुताबिक अंतिम पर्चा डिक्री बनाई गई थी। अब वादीगण के मन में बेईमानी आ गयी है और प्रतिवादी सं. 1 को अनावश्यक परेशान करने बाबत उक्त वाद प्रस्तुत किया है। दिनांक 27.10.2021 की रिपोर्ट में प्रतिवादी सं. 1 को खसरा नंबर 13 की खातेदार योगिता कंवर के हिस्से में आई हुई भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त बताया गया है तथा उस खेत तक पहुंचने वाला रास्ता भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। उक्त खेत के रास्ते के अभाव में प्रतिवादी सं. 1 काश्त भी नहीं कर पायेगा। गत् खसरा नंबर 12 व 13 वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी तथा आपसी सहमति से खाता विभाजन किया गया था किन्तु सहवन से पटवारी हल्का की त्रुटि की वजह से प्रत्येक खसरा नंबरान में पहुंचने के लिए रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया था जो किया जाना अति आवश्यक है।

अतः जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया है कि गत् खसरा नंबर 12 व 13 में नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर प्रत्येक खातेदार के लिए अपने–अपने खेत में पहुंचने के लिए रास्ते की व्यवस्था किये जाने की कृप करें व उसी अनुरूप पटवारी हल्का से नयी रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करें।

वादीगण की ओर से प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिदावा अनुतोष को अस्वीकार किया है। पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड व मौके के अनुसार विधि सम्मत रिपोर्ट पेश की है। वादीगण ने प्रतिवादी को पेरशान करने बाबत वाद पेश नहीं किया है बल्कि सजरे नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए किया है। प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी का ख.नं. 811/12 रकबा 1.68 है. और पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार व सहमति से हुए खाता विभाजन के अनुसार ही प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त मौके पर है। यदि प्रतिवादी सं. 1 की भूमि में जाने का रास्ता नहीं है तो प्रतिवादी सं. 1 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के प्रावधानों के तहत रास्ते की मांग करने के लिए स्वतंत्र है। वादीगण का वाद सैग्रीगेशन में हुई त्रुटि को नक्शे में दुरूस्त करवाने का है। प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी सं. 2 सम्यक् सूचना के अनुपस्थित पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 3 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/82 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि बाबत वास्तविक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1. ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि ख.नं. 12 का आपसी सहमति खाता विभाजन नामांतरकरण सं. 392 द्वारा किया गया था तथा ख.नं. 13 का आपसी खाता विभाजन नामांतरकरण सं. 231 द्वारा किया गया था जिसमें खाता विभाजन के पूर्व एवं बाद की स्थिति पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शायी गयी है।
2. वर्तमान नक्शे में सजरे नक्शा में सेग्रीगेशन के दौरान वन टू वन मैपिंग की गई जिसके कारण मूल पैमाईश की शीट के अनुसार खसरों की वर्तमान स्थिति पटवारी रिपोर्ट में दर्शायी गई है।
3. वर्तमान मौका व कब्जा काश्तकार के अनुसार पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है।
4. खातेदारों द्वारा ख.नं. 12 व 13 का कब्जा काश्त एवं ख.नं. 13 के खातेदारों का ख.नं. 12 में कब्जा काश्त है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न है।
5. ख.नं. 810/12, 811/12 में ख.नं. 795/13, 798/13 व ख.नं. 13 के खातेदार कब्जा काश्त है व मौके पर काबिज है एवं ख.नं. 795/13, 798/13, 13 में ख.नं. 810/12, 811/12 के खातेदारों का कब्जा काश्त है।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा ट्रेस वर्ष 1979–80 (विभाजन से पूर्व की स्थिति), नकल नक्शा ट्रेस (विभाजन के बाद की स्थिति), नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 115, खाता सं. 157, खाता सं. 129, खाता सं. 226 व खाता सं. 66 ग्राम श्यामपुरा, फोटो प्रति आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया है कि वादीगण ने उक्त वाद पत्र के जरिये वादग्रस्त भूमि में घोषणा का अनुतोष चाहा गया था, वह प्रत्याहरित करने की अनुमति प्रदान कर नक्शा दुरूस्ती का अनुतोष प्रदान किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य व प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि ख.नं. 795/13, 798/13, 13 व ख.नं. 810/12, 811/12 के हाल सेग्रिगेशन नक्शा को तहसीलदार खेतड़ी द्वारा सहमति से किये गये विभाजन क्रमाकः 13 दिनांक 28.12.2010 के संलग्न नक्शा दिनांक 28.12.2010 व विभाजन क्रमांकः भू.अ./209 दिनांक 03.02.2006 के संलग्न नक्शा दिनांक 30.01.2006 के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, खेतड़ी स्वयं के यहां उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कर निर्णय की पालना करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

भगवती कंवर आदि

ब–ना–म

दुर्जनलाल सिंह आदि

दावा बाबत **घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती नक्शा**

मुकदमा नम्बर :– **137/2021**

निर्णय दिनांक :– **30–09–2022**

वादीगण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से **श्री हवासिंह निर्वाण एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **30–09–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि ख.नं. 795/13, 798/13, 13 व ख. नं. 810/12, 811/12 के हाल सेग्रिगेशन नक्शा को तहसीलदार खेतड़ी द्वारा सहमति से किये गये विभाजन क्रमांकः 13 दिनांक 28.12.2010 के संलग्न नक्शा दिनांक 28.12.2010 व विभाजन क्रमांकः भू.अ./209 दिनांक 03.02.2006 के संलग्न नक्शा दिनांक 30.01.2006 के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, खेतड़ी स्वयं के यहां उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कर निर्णय की पालना करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **30–09–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:12 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी